म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, अरेरा हिल्स, किसान-भवन, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/ऋण/38-1/सीसीटीव्ही/ 66 भोपाल, दिनांक 21/06/2017

प्रति,

सचिव, (समस्त)

कृषि उपज मण्डी समिति,

.... जिला .... (म.प्र.)

विषय:- आर्थिक रूप से कमजोर मण्डी समितियों के लिये अत्याधुनिक सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में।

-0-

म0प्र0 कृषि विपणन बोर्ड के संचालक मण्डल की 128 वी बैठक दिनांक 28.4.2017 में प्रस्ताव कमांक-5 अनुसार म0प्र0 कृषि उपज मण्डी राज्य विपणन विकास निधि नियम, 2000 के नियम-8(छ:)(ख) के प्रावधान अनुसार प्रदेश की वित्तीय रूप से कमजोर मण्डी समितियों को सी.सी.टी. व्ही. कैमरे एवं भाव प्रदर्शन के लिये इलेक्ट्रानिक ट्रिकर बोर्ड लगाने के लिये अधिकतम राशि रूपयें 5.00 लाख तक का अनुदान बोर्ड निधि से स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश की ऐसी कृषि उपज मण्डी समितियों जिनमें पदस्थ राज्य मण्डी बोर्ड सेवा/मण्डी सेवा संवर्ग के कर्मचारियों के वेतन भत्तो, लंबित वेतन, पेंशन का भुगतान इत्यादि विगत एक वर्ष से नियमित रूप से नही किया जा रहा है तथा वैधानिक निधियॉ भी नियमित रूप से जमा नही कर रही है, वे मण्डी समितियॉ आर्थिक रूप से कमजोर मण्डी समिति की श्रेणी के अन्तर्गत आएगी। अनुदान स्वीकृति की प्रकिया एवं शर्ते निम्नानुसार होगी :-

01. मण्डी समिति की विगत 05 वर्षो की आय, आवक एवं व्यय की जानकारी।
02. मण्डी में कार्यरत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित वेतन/पेंशन की जानकारी।
03. बोर्ड को भेजी जाने वाली लंबित वैधानिक निधियों की जानकारी।
04. सी0सी0टी0व्ही0 कैमरे क्रय के संबंध में बोर्ड मुख्यालय के परिपत्र कमांक/बी-7/2/सी.सी.टी.व्ही./ कैमरे/2806 दिनांक 13.6.2017 एवं संशोधित परिपत्र कमांक-3079 दिनांक 23.1.2017 द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुसार निर्धारित गठित समिति का कार्यवाही विवरण एवं अनुशंसा।
05. मण्डी समिति में पूर्व से कुल कितने सी.सी.टी.व्ही. कैमरे/ इलेक्ट्रानिक ट्रिकर बोर्ड स्थापित किये गये है एवं वर्तमान में कितने सी.सी.टी.व्ही. कैमरे/ इलेक्ट्रानिक ट्रिकर बोर्ड चालू/बंद हालत मे है। यदि कैमरे/ इलेक्ट्रानिक ट्रिकर बोर्ड बंद हालत मे है तो मेन्टेनेन्स की क्या स्थिति है ? मेन्टेनेन्स पर संभावित व्यय की जानकारी।
06. मण्डी समिति मे कुल कितने प्रांगण/उपमण्डी प्रांगण है ? उनका कुल एरिया (एकड में) कितना है ? प्रांगणों में गेटों की संख्या ?

07. उक्त संबंध में मण्डी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव/ठहराव की प्रति।

08. कय का माध्यम, कय की जाने वाली सामग्री की संख्या एवं वैद्य दर सूची अनुसार दर एवं वैद्य दर सूची की छायाप्रति।

09. कय की जाने वाली सामग्री का अनुमानित मूल्य।

10. मण्डी समिति में अद्यतन स्थिति में उपलब्ध निधियों की जानकारी।

उपरोक्त निर्देश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगे।

प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
KR. भोपाल

कमांक/बोर्ड/ऋण/38-1/सीसीटीव्ही/ 67 भोपाल, दिनांक 21/06/2017

प्रतिलिपि:-

(1) अपर/संयुक्त/उप संचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय, ... की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि सी0सी0टी0व्ही0 कैमरे एवं इलेक्ट्रानिक ट्रिकर बोर्ड कय करने के संबंध में मण्डी समितियों से अनुदान स्वीकृति के प्राप्त प्रस्ताव का भण्डार कय नियमों के तहत परीक्षण कर अपने स्पष्ट अभिमत/अनुशंसा सहित प्रस्ताव इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करे।

(2) संयुक्त संचालक (बोर्ड बैठक), म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल की ओर बोर्ड की 128 वीं बैठक दिनांक 28.4.2017 में प्रस्ताव कमांक-5 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

(3) उपसंचालक (वित्त) म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
KR. भोपाल